चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने भैस व पड़िया चोरी के 02 अभियुक्तों को चोरी की 02 अदद भैस व 02 अदद पड़िया सहित एवं 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों का नाम व पता-

1.मो0 आरिफ शाह पुत्र मोसिन शाह निवासी शादीम दीनपुर थाना चिल्ला जनपद बांदा।

2.रामभवन पुत्र राम आधार निवासी भदेदू थाना बबेरू जनपद बांदा।

बरामदगी-

02 अदद भैस व 02 अदद पड़िया

01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी नं0 UP 90 AT 8969

मो0सा0 डिस्कवर नं0 UP 90 H 2598

मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स नं0 UP 90 P 5452

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-

पानी की टंकी के पास बहद ग्राम भरथौल थाना भरतकूप,23.08.2025 समय 21.35 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 23.07.2025 को वादी राजेश कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 22.08.2025 की रात्रि में समय करीब 12.30 बजे कुछ व्यक्ति हमारे घर के बाहर बधी 02 भैस व 02 पड़िया को डग्गा(पिकअप) में लादकर चोरी कर रहे थे । भैसो की आवाज व सोरगुल सुनकर हमारे पड़ोसी जाग गये । सोर मचाये तो वह पिकअप गाड़ी से भैसो को लादकर भा गये। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक भरतकूप द्वारा चोरी के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री रामकुमार को निर्देशित किया गया था।

दिनाँक 24.08.2025 उ0नि0 श्री रामकुमार व उनकी टीम मुखविर की सूचना पर विश्वास कर बताये हुए रास्ते की ओर चल दिये,जैसे ही सड़क किनारे बनी पानी की टंकी के पास पहुंचे तो पिकअप गाड़ी खड़ी थी जिसमें पशु लदे हुए है, और जो 02 व्यक्ति मोटर साइकिल पर बैठे है, जो संदिग्ध लग रहे है। पुलिस टीम वाहनों के पास पुहंची तो मोटरसाइकिलों पर बैठे संदिग्ध व्यक्ति तथा पिकअप गाड़ी का चालक जिसमें 02 भैसे व 02 पड़िया लदे है। जिस पर रात्रि का समय होने के कारण मोटर साइकिल सवार भाग गये। पिकअप गाड़ी में बैठे दो व्यक्तियों को उ0नि0 श्री रामकुमार व उ0नि0 अरविन्द सिंह द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1. मो0 आरिफ शाह पुत्र मोसिन शाह निवासी शादीम दीनपुर थाना चिल्ला जनपद बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट के बायी फैट से 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2.रामभवन पुत्र राम आधार निवासी भदेदू थाना बबेरू जनपद बांदा बताया । पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद पिकअप नं0 UP 90 AT 8969 में लदी 02 भैस व 02 पड़िया के बारे में पूछा गया तो बताये कि, हम चारो लोग मिलकर दिनांक 22.08.2025 की रात्रि में ग्राम मुकुन्दपुर से एक घर के बाहर बधी दोनों भैसे व पड़िया को चोरी कर पिकअप में लादकर ले गये थे। 03 व्यक्ति हमारे साथ थे जो मौके से भाग गये जिसका नाम 1. राधेश्याम पुत्र रामभवन निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना भरतकूप 2.कालका पटेल पुत्र रामा निवासी आहार थाना बबेरू जनपद बादां 3.मनोज निवासी ग्राम पलरा थाना चिल्ला जनपद बांदा। आज

हमलोग इन पशुओं को बेचने के लिए फतेहपुर जा रहे थे। बरामद तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी तथा बरामद वाहन पिकअप गाड़ी नं0 UP 90 AT 8969, मो0सा0 डिस्कवर नं0 UP 90 H 2598 व मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स नं0 UP 90 P 5452 का अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। 02 अदद भैस व 02 अदद पड़िया जिन्दा को वादी को दिखाकर पहचान कराकर सुपुर्दगी में दिया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप
2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
3.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
4.आरक्षी रणवीर सिंह
5.आरक्षी शक्ति सिंह
6.आरक्षी चालक संदीप लोधी

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने आत्महत्या के करने लिए उकसाने वाले वाँछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

शिवपूजन कोल पुत्र देवनाथ कोल उम्र करीब 39 वर्ष नि0 ग्राम उमरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय</u>-

मारकुण्डी रोड पर स्थित पंचवटी ढाबा गुमती के पास,23.08.025 समय 02.35 ए0एम0 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 20.08.025 को वादी को एक वादी ने सूचना दिया कि मौसी ममता देवी की पुत्री को दिनांक 11.08.2025 को अमित कोल पुत्र चिरई कोल के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी,जिसकी शिकायत थाना मानिकपुर में की गई, किन्तु मानिकपुर के आशीष कोल पुत्र संतोष कोल,राकेश कोल पुत्र प्रेम सिंह व शिवपूजन कोल पुत्र देवनाथ के द्वारा लगातार मौसी ममता को विगत 4 से 5 दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे। मौसी व मौसी के भतीजों पर एससी/एसटी का मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे थे। मौसी ममता भयभीत होने व लोकलाज के कारण विवश होकर दिनांक 20.08.2025 को लगभग शाम 04 बजे आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर मु0अ0सं0 156/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया। मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को निर्देशित किया गया।

आज दिनाँक 23.08.025 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व उनकी टीम द्वारा मुकदमें के नामजद वाँछित अभियुक्त शिवपूजन कोल पुत्र देवनाथ कोल उम्र करीब 39 वर्ष नि0 ग्राम उमरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट मारकुण्डी रोड पर स्थित पंचवटी ढाबा गुमती के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

प्र0नि0 मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव
2.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय
3.आरक्षी अजीजउद्दीन

4.आरक्षी चालक प्रभात दुबे

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर महिला के लड़के को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.05.2025 को श्री सोनू पांडे पुत्र श्री दिनेश पांडे निवासी ग्राम अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा समय 20.26 बजे इवेंट नंबर 18454 पर दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि गांव में एक महिला संदिग्ध चोर प्रतीत होती है,जिसे गांव वालों ने घेर रखा है । इस सूचना पर पीआरबी एवं थाना रैपुरा पुलिस के आरक्षी अंकित शुक्ला एवं महिला आरक्षी मनीषा यादव द्वारा गांव पहुंचकर महिला को थाना रैपुरा ले आए, अर्ध विछिप्त महिला द्वारा किसी तरह अपना नाम फूला देवी पत्नी स्व0 श्री राम सुख ग्राम रामनगर बान जिला जौनपुर बतायी, जिसकी तलाश सी-प्लान ऐप के माध्यम से ग्राम प्रधान रामपुर थाना मुंगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर से बात करके उक्त संदिग्ध महिला की पहचान कराई गई, तो ग्राम प्रधान प्रदीप द्वारा महिला को अपने गांव का बताते हुए उसके पुत्र मनोज कुमार जो दिल्ली में हैं से वार्ता कराई गई । मनोज कुमार द्वारा आज दिनांक 24.08.2025 को पहचान संतुष्ट होने के उपरांत अपने भाई शंभू नाथ पुत्र स्व0 राम सुख सरोज निवासी ग्राम रामपुर थाना मुंगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर मोबाइल नंबर 8874934859 को थाना पर भेजें। मनोज द्वारा अपनी माता के 01 वर्ष पूर्व गुम हो जाने पर अपनी माता दुर्गावती उर्फ फूला देवी की गुमशुदगी थाना बादशाहपुर जिला जौनपुर में दर्ज कराई गई थी। तलाश गस्ती दिखाते हुए पहचान की गई तथा गुमशुदा दुर्गावती द्वारा अपने बेटे शंभू नाथ को पहचान लिया गया । पहचान हो जाने के बाद गुमशुदा की बरामदगी के संबंध में मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के प्रभारी निरीक्षक मोबाइल नंबर 9454403610 को सूचना दी गई । गुमशुदा महिला अपने पुत्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होकर थाना रैपुरा पुलिस को बार-बार धन्यवाद दिया। जिन्हें बाद विधिक कार्यवाही थाना हाजा से नाश्ता करा कर सादर रुखसत किया गया ।